

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित सड़क-पुलिया/2019-20/43620-30  
परियोजना अधिकारी,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
उदयपुर ।

दि. 29/11/19

विषय- सड़क निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : इस विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 40317-22 दिनांक 01.11.2019 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सलुम्बर का पत्र क्रमांक 1717 दिनांक 08.11.2019 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

कार्यकारी एजेन्सी-सार्वजनिक निर्माण विभाग

राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
		क्र./दि.	राशि	
1	2			
1	डामर सड़क निर्माण कार्य-केनार स्कूल से धोलागिर पहाड़ किमी 0/0 से 2/300	159/2019-20	60.00	30.00
2	डामर सड़क निर्माण कार्य-शेषपुर से केनार किमी 0/0 से 3/0	160/2019-20	25.00	12.50
	योग		85.00	42.50

उपरोक्त कार्यो की कुल राशि 85.00 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त 42.50 लाख (50 प्रतिशत) की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या-42/ 2019-20 दिनांक 8.11.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि रु. 525.00 लाख में से परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को देय होगी। कार्य का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे। शेष राशि कार्यो की प्रगति एवं हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्धि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
- राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा मे सम्पादित किया जावे। तकनीकी एस्टीमेट एवं स्वीकृति के आधार पर विभाग कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश एवं नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पुर्वानुमति से नहीं किया जावे। कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावे।
- कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावे जिन्हें विभागीय वेब-साईड पर अपलोड किया जा सकें।
- परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी एवं कार्यो के उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर एवं समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

sd

(शिवांगी स्वर्णकार)IAS


आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित सडक-पुलिया/2019-20/43626-30

दि. 29/01/19

प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त उदयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया कार्यों का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
6. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सलुम्बर जिला उदयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया कार्यों का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में शासन से विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या-42/ 2019-20 दिनांक 8.11.2019 राशि रु. 525.00 लाख में से प्रथम किश्त की राशि 42.50 लाख (50 प्रतिशत) परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को राशि हस्तान्तरण करावें।
8. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
9. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड पत्रावली।

  
 अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)  
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
 उदयपुर